आखिरी जांच: 9 अक्टूबर 2026 · Welfare of Differently Abled Persons Department

Reader's Allowance for Visually Impaired Students

तमिलनाडु सरकार नौवीं कक्षा से स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को हर साल पाठक भत्ता देती है, ताकि वे पढ़ने के लिए पाठक रख सकें।

क्या मिल सकता है

9वीं से 12वीं के लिए 3,000 रुपये सालाना, डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 5,000 रुपये सालाना और स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 6,000 रुपये सालाना। यह साल में एक बार दिया जाता है।

किसके लिए है

तमिलनाडु की मान्यता प्राप्त संस्था में 9वीं या उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले दृष्टिबाधित विद्यार्थी।

मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी दृष्टिबाधित हो और मान्यता प्राप्त संस्था में 9वीं या उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ रहा हो।
- जो पाठक विद्यार्थी को पाठ पढ़कर सुनाता है, उसका प्रमाणपत्र देना होगा।
- भत्ता साल में एक बार, पढ़ाई के स्तर की दर से दिया जाता है।

दस्तावेज़

- संस्था प्रमुख का प्रमाणपत्र
- दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र
- पिछली योग्यता परीक्षा की अंकतालिका
- पाठक का प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. निर्धारित आवेदन फ़ॉर्म अपने ज़िले के ज़िला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से लें।
2. उसे भरकर दस्तावेज़ों के साथ उन्हीं ज़िला दिव्यांग कल्याण अधिकारी के पास जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.scd.tn.gov.in/specialedu.php#readers-allowance-visually-impaired
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/tamil-nadu/tn-readers-allowance-visually-impaired-students/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।